



पत्रांक २६५२ / ३३ सी

दिनांक १ / १२ / २०१८

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७११ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक २११८ / १२-१ दिनांक, मुनिकीरेती, १५.०३.२०१८
महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४ के पत्रांक ११६ / X-४-१८/१(३४) / २०१८ दिनांक १९.०२.२०१८ द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या एवं आपके उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वांछित विवरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

- शर्त सं० १ :- प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित स्थल के आस-पास/मार्ग के दोनों ओर नाप भूमि को छोड़ते हुये रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० ३०००७६.०० की धनराशि ऑन लाईन दिनांक २६.११.२०१८ को चालान द्वारा जमा कर दिया गया है (चालान की फोटो प्रति संलग्न है)।
- शर्त सं० २ :- एन०पी०बी० की धनराशि रू० ४६७१२७.०० चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की फोटो प्रति संलग्न है)
- शर्त सं० ३ :- एन०पी०वी० के दरों में यदि भविष्य में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी इस आशय का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- शर्त सं० ४ :- आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर वांछित धनराशि (कैम्पा फण्ड) में नई दिल्ली को ऑन लाईन चालान द्वारा जमा की गई है। (चालान की फोटो प्रति संलग्न है)
- शर्त सं० ५ :- भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- शर्त सं० ६ :- जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वन अधिकारी अधिनियम २००६ से सम्बन्धित (एफ०आर०ए०) का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- शर्त सं० ७ :- प्रस्ताव में निहित सभी शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार चार-चार प्रतियों में।

(इं० विनोद नेगी)

अधिशासी अभियन्ता

अ०ख०, लोक निर्माण विभाग

श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

पत्रांक २६५२ / ३३ सी

दिनांक १ / १२ / २०१८

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता ८वां वृत्त लो०मि०वि० नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

अ०ख०, लोक निर्माण विभाग

श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

78330714101- 24/11/2018

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 22-11-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6122231628
MoEF/SG File No.	1(34)/2018
Address.	T.D., P.W.D. SRINAGAR, H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount (in Rs)	767203/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Seven Lakh Sixty-Seven Thousand Two Hundred and Three Rupees Only


 Depositor Signature (Signature)
 B.O. Kirtinagar
 Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.


CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 22-11-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6122231628
MoEF/SG File No.	1(34)/2018
Address.	T.D., P.W.D. SRINAGAR, H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount (in Rs)	767203/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Seven Lakh Sixty-Seven Thousand Two Hundred and Three Rupees Only


 Depositor Signature (Signature)
 B.O. Kirtinagar
 Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.


BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 22-11-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6122231628
MoEF/SG File No.	1(34)/2018
Address.	T.D., P.W.D. SRINAGAR, H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount (in Rs)	767203/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Seven Lakh Sixty-Seven Thousand Two Hundred and Three Rupees Only


 Depositor Signature (Signature)
 B.O. Kirtinagar
 Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

प्रारूप-33

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 5.00 किमी० (वास्तविक लम्बाई 5.225 कि०मी०)

भू-वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)

— संलग्न है। —

H-16
58

H
सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
कीर्तिनगर (म०-देवप्रयाग)

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

10/11/07/16
Executive Engineer
T.D. & W.D. Srinagar
M.O. Kirtinagar

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0- 591 / सडक / पुल समरेखण / गढवाल / 2015

Geological Assessment of 5.225 Km long alignment
corridor proposed for Hindolakhhal to Payal Gaon
motor road to Bitula-Nautha to Dalmasa Extention
Up to Hindolakhhal-Palethi Mulyangaon motor road
District Tehri Garhwal.

13-मई-2015

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
देवप्रयाग

**Geological Assessment of 5.225 Km long alignment
corridor proposed for Hindolakhhal to Payal Gaon
motor road to Bitula-Nautha to Dalmasa Extention
Up to Hindolakhhal-Palethi Mulyangaon motor road
District Tehri Garhwal.**

Vijay Dangwal

13.05.2015

1- **Introduction** :- The Temporary Division PWD Srinagar (HQ-Kritinagar) has been entrusted for the construction of 5 km long (actual length 5.225 Km) vide G.O no. 549/III (02)/14-49 (Pra Aa)/2013 dated 29-01-2014. On the request made by Sh. B.P. Nautiyal, Executive Engineer, I carried out the geological assessment of the proposed alignment corridor of this road on 22.04.2015. Er. S.S. Rawat, Assistant Engineer and Er. Kamlesh Chandra, Junior Engineer was present during the site visit.

To alternative alignment i.e. Alignment no. 1 and Alignment no. 2- Originating from the end change of Hindolakhhal-Payalgaon motor road and traversing through the different path have been proposed for the construction of above said motor road. Considering the various geological, geotechnical, hydrogeological, parameters and the geometry of the alignment the alignment no. 1 was taken up for the geological assessment. The present report is based on the study carried out along the Alignment No. 1.

2- **Geological Assessment** :- Locate in the mid lands of Garhwal Lesser Himalaya Belt, tectonically bounded by the Main Central Thrust (MCT) in the north and the Main Boundary Thrust (MBD) in the south direction this alignment is exposed by the sedimentary sequence of Jaunsar nappe . Another promened thrust of regional dimension also traverse the entire gamut of Lesser Himalaya Belt in Garhwal and

छाया प्रति सत्यापित
 सहायक अभियंता
 आर०००, लो०नि०दि०
 देवरघाग

Kumaon region. The rock masses exposed in this section are affected by the tectonic framework therefore, these are sheared, shattered, distressed and deformed in nature. The terrain containing this alignment this characterized the mild topography. Mostly the phyllits which are grouped into four categories on the basis of their physical strength are partially exposed in the area of this alignment. The Phyllitic Quartzite's Massive (PQM), Phyllitic Quartzite's Thinly Bedded (PQT), Quartzite's Phyllits (QP) and Sheared Phyllits (SP) are visible at few stretches of this alignment. The PQM is the most competent rock while the PQT is the least. The massive bands of PQM contains high percentage of decrial quartzes as compare to the platy/flaky and minerals which comprise the PQT. These rock messes exposed in this area are traversed by many linear rock defects which are given in the following table.

Table

Sl. No.	Feature	Dip Amount	Dip Azimuth	Remarks
1	J 1 Joint (SO)	52°	N 200	Bedding/foliation first
2	J 2 Joint	40°	N 055	Filled with Quant veins
3	J 3 Joint	80°	N 110	Random Joint Set
4	J 4 Joint	62°	N 340	Thick/Frequently spaced.

All the joint sets described above are largely close spaced to one another and bears thick for volume.

The overburden material deposited on and across this alignment corridor is comprised of the angular gravels and rock chips which are embedded into the silty clay matrix. This material is layered, dense and naturally compacted and exhibiters higher values of consistency. According to the assessment made at the site the "Untrained Shear Strength" of these soils was found ranging between 300 k Pa to 450 k Pa . These soils do not contain and dispersive particles though vide abundance of clay minerals was found in these soils. It was found that the overburden material is prone to undergo ductile deformation if get vet/saturated.

छाया प्रति सत्यापित :
 H
 सहायक अभियंता
 अ०ख०, लो०नि०वि०
 देवप्रयाग

The ground containing this alignment do not manifests any signatures related to the deformation i.e. tension cracks, sink/pot hole at slush like conditions.

By and large the cross slopes of this alignment corridor are stable and free from any mass wasting/land slide activity.

On the basis above and the study carried at the site the following recommendations are being made for the construction of the above title road failing to these this report will be automatically treated as cancelled.

3- Recommendations :-

- 1- Form the road by half cut half fill techniques and compact the full material by dynamic compaction.
- 2- Do not dispose the excavated muck/waste on the lower slopes.
- 3- Protect the either side slopes by properly designed retaining/breast walls.
- 4- The road must have adequate long and cross drainage arrangements and the drained water must be disposed off on the stable ground, otherwise the down hill slope may get eroded if accumulated water is permitted to run over the hill slopes.
- 5- All the constriction activity must be carried out as per the standard codes of practices suggested by the MORTH and BIS.

Vijay Dangwal
13/5/15

(Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Office of the Engineer In Chief,
PWD, Dehradun.

छाया प्रति सत्यापित
सहायके अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि०
देवप्रयाग

प्रारूप-34

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 5.00 किमी० (वास्तविक लम्बाई 5.225 कि०मी०)

भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Handwritten signature
3E

Handwritten initials
सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
कीर्तिनगर (प्र०-देवप्रयाग)

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Handwritten signature
Executive Engineer
Y.D. P.W.D. Srinagar
M.O. Kirtinagar

प्रारूप-35

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 5.00 किमी० (वास्तविक लम्बाई 5.225 कि०मी०)

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियों याचक विभाग को मान्य हैं।

K.L.
JE

सहायक अभियन्ता
अ०ख०, अ०नि०वि०
कीर्तिनगर (मु०-देवप्रयाग)

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive Engineer
P.D. P.W.D. Srinagar
M.O. Kirtinagar

प्रारूप-36

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 5.00 किमी० (वास्तविक लम्बाई 5.225 कि०मी०)

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

Handwritten signature
se

सहायक अभियन्ता
अ०ख०.न०वि०वि०
कौलीनगर (म०-देवप्रयाग)

ह०
प्रयोक्तृ एजेंसी 107/16

56
57

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.711 Hectare** for the construction of **Hindolakhhal Payalgoan motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhhal Palethi Mulyagoan Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri


(इन्दुवर बौड़ाई)
District Collector Cum chairman
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.711 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar for Construction of Hindolakhil Payalgaon motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhil Palethi Mulyagoan Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of ----- Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.711 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौड़ई)

जिला अधिकारी

(टिहरी गढ़वाल)

Distt. Colector

It is further certified that-

Minutes of meeting of *Hidolakhhal Payalgaon Motor Road Extension up to Hidolakhhal Mulyagaon Motor Road Via Bitula, Nautha, Devli & Dalmasa* Motor Road (5 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

Sambam

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
39 आगणी - पलेली
विकास खण्ड -
टिहरी गढ़वाल

he
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, जौनपुर

Dev
प्रशासकीय वनाधिकारी
जौनपुर बसेरा भाग, बटि डरी गढ़वाल
मुनि-की-रेवी

Cee
(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(60)
59

प्रारूप सं० - 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 कि०मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :- 549 / 111(2) / 14-49(प्र०आ०) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग 5.00 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रषासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 5.225 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.711 है० सिविल वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.711 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 3.9915 है० ग्राम पंचायत पौसाड़ा के काप्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काप्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रजगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता
जिला टिहरी गढ़वाल
कीर्तिनगर
H.Q. Kirtinagar
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील देवप्रयाग
जिला-टिहरी गढ़वाल

प्रतिस्वीकृति
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

1.0
तहसीलदार
देवप्रयाग, टि०ग०

44
SDM
जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखल पयालगॉव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्यागॉव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ली.नि.वि.का प्रत्यावर्तन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर.....

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखल पयालगॉव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्यागॉव तक विस्तार (..... हे० आरक्षित वन भूमि, ०.७११ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.७११ हे० वन भूमि) का लोक-निर्माण विभाग कीर्तिनगर..... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग.....) की दिनांक 27/11/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतार सिंह चौहान....., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री चतार सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष 4/11/16
2-	श्री डी.पी. वसुधामा	उप प्रमागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री विनोद कुमार उपाध्याय	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4-	श्रीमती गार्ली देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य 4/11/16

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हिण्डोलाखल पयालगॉव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलभासा होते हुए हिण्डोलाखल मुल्यागॉव तक विस्तार परियोजना हेतु ०.७११ हे० वन भूमि लोक-निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग देव प्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड की तिनागर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलगढ़ गढ़वाल में मार्ग का बिबुला, नौधा व नली से दलमस्ताडात डूर हिण्डोलगढ़ मुख्य गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु 0:3:11 हे० वन भूमि लाक. निर्माण विभाग की तिनागर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

— ५ —

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— देव प्रयाग
जनपद— टिहरी गढ़वाल


प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

— ५ —

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— देव प्रयाग
जनपद— टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलख
पयालागाँव मोटर-मार्ग का बिटुला, नौधा देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलख
मुल्यागाँव मोटर-मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन-भूमि का गैर-वार्निकी
कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन

दिनांक 27/7/016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	यह SDM
2	श्री डी.पी. कलानी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	विनोद कुमार उन्मि	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 सदस्य समाज कल्याण अधिकारी
4	श्रीमती प्रावर्ती देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत-लंबोर, पि०ख देवप्रयाग (दि०ग०) प्रावर्ती देवी

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद दिल्ली गढ़वाल के अन्तर्गत छिड़ोलाखाल पंचालाव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, खेनी एवं दलमासा होते हुए छिड़ोलाखाल मुख्यालय मोटर मार्ग का विस्तार,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम पौसाड़ा
तहसील देवप्रयाग, जिला दिल्ली गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिल्ली गढ़वाल के अन्तर्गत छिड़ोलाखाल पंचालाव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, खेनी एवं दलमासा होते हुए छिड़ोलाखाल मुख्यालय मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे० आरक्षित वन भूमि, ०.७११ हे० सिविल सोयम भूमि, हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ०.७११ हे० वन भूमि का लो० नि० वि० की विस्तार विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पौसाड़ा द्वारा दिनांक ०२-१०-२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पौसाड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० की विस्तार प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- पौसाड़ा
ग्राम सचिव ३०४९१२३
०१६०११५

ह० Buman
ग्राम प्रधान

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

साया प्रति सत्यापित
सहायक अभियंता
००ख०. लो०नि०वि०
देवप्रयाग

जय मां चन्द्रबदनी

ग्राम पंचायत-पौसाड़ा, विकासखण्ड-देवप्रयाग(हिण्डोलाखाल)

जिला-टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

सुमन रतूड़ी

प्रधान

ग्राम पंचायत-पौसाड़ा

विकास खण्ड-देवप्रयाग, टि०ग०

निवास / कार्यालय

ग्राम-पौसाड़ा, पोस्ट-हिण्डोलाखाल

जिला-टिहरी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

Mob.9756789050,9897377647

पत्रांक.....

प्रमाणपत्र

दिनांक. 25.06.17

प्रमाणित किया जाता है कि हिण्डोलाखाल-
 पद्मालगांव मोटर मार्ग का विडुला, नौंथा देवली
 एवं दलभासा होते हुये हिण्डोलाखाल-मुंलगांव
 मोटर मार्ग विस्तार नव निर्माण प्रस्तावित है,
 एवं प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-
 दलभासा कफोलगांव, नौंथा, विडुला रयाल गांव
 व लंगौर ग्राम पंचायत-पौसाड़ा के अन्तर्गत
 आते हैं,



700

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 5.00 किमी० (वास्तविक लम्बाई 5.225 कि०मी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

Handwritten signature
SE

Handwritten signature
सहायक अभियन्ता
अ०स०. लो०नि०वि०
कीर्तिनगर (म०-देवप्रयाग)

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

Handwritten signature
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar